न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 08/2019 Rcms No. 2019/00158
दायरा तिथि : 18.01.2019
प्राथमिक डिक्री दिनांकः 03.03.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 30-7-2021

वादी :–

स्व. वनाराम पुत्र देवाजी के कायम मुकाम वारिशानः
जितेन्द्रकुमार पुत्र वनारामजी जाति घांची
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हरीया उर्फ हन्साराम पुत्र देवाजी
2. लालाराम पुत्र देवाजी
3. चुनीया उर्फ चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल पुत्र देवाजी
4. स्व. छोगा पुत्र देवाजी के कायम मुकाम वारिशानः
   अ. तुलसीराम पुत्र छोगारामजी
   ब. मदनलाल पुत्र छोगारामजी
   स. श्रीमति टमु देवी धर्मपत्नि छोगारामजी तमाम जाति घांची
   निवासी सुभाष बस्ती बाली तहसील बाली जिला पाली (राज0)
5. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री अमृत परिहार अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री एम. ए. कलाम अभिभाषक प्रतिवादी सं0 4 (अ). (स) की ओर से
3. श्री जयकिशोर लखारा..............अभिभाषक प्रतिवादी सं. 03 की ओर से
4. प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 4(ब)......अनुपस्थित।
5. श्री नरेन्द्र चौहान नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 30-7-2021

वाद अन्तर्गत धारा 88 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 18.02.1970 के द्वारा संयुक्त रूप से खरीद शुदा भूमि बाली के गत् खसरा नंबर 316/2/1 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 1296, 1297, 1298 रकबा क्रमशः 0.01 हैक्टर, 0.03 हैक्टर, 0.83 हैक्टर कुल खसरा–03 कुल रकबा 0.87 हैक्टर किस्म गै.गु. बेरा, गै.गु. सडा, जाव अव्वल चाही प्रथम का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को 1/5, 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुये इसी घोषित खातेदारी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 से 04 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य पट्टा बापीगांव बाली के ख0नं0 316/2/1 क्षैत्रफल सवा 5 बीघा 03 बिस्वा की फोटो प्रति, पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 18.02.1970 की फोटो प्रति, बिगोडी रसीद की फोटो प्रति, स्व. वनाराम उर्फ वेनाराम पुत्र देवाजी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, हाल ख0नं0 2157 से 2160 की खतौनी संवत् 2072 से 2075 बाली, कस्बा बाली के हाल खसरा नंबर 1295, 1297, 1298 की खतौनी संवत् 2072 से 2075 की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–03 की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशोर लखारा द्वारा ईकबालिया जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या–02 सम्मन तामील के बाद न्यायालय में दिनांक 20.02.2019 को एक बार ही व्यक्तिशः उपस्थित हुये, तथा इसके पश्चात् की नियत पेशीयो पर वकालतन/ असालतन आदिनांक तक अनुपस्थित रहे, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–01 व प्रतिवादी संख्या 4(ब) बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन न्यायालय में आदिनांक अनुपस्थित रहे है, जिससे प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 4(ब) के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 (अ). (स) के अधिवक्ता श्री एम.ए. कलाम को जबावदावा प्रस्तुती के लिये न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद जबावदावा पेश नहीं किया गया। दिनांक 03.03.2021 को अधिवक्ता प्रतिवादी श्री एम.ए. कलाम को अवगत कराये जाने पर उनके द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् अपनी सहमति व्यक्त की। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा पुर्व में ईकबालिया जबावदावा प्रस्तुत कर देने तथा प्रतिवादी संख्या 4 (अ). (स) के अधिवक्ता श्री एम.ए. कलाम द्वारा प्राथमिक डिक्री बाबत् सहमति व्यक्त करने से दिनांक 03.03.2021 को वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुये इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :08/2019 Rcms No. 2019/00158

अनवान स्व. वनाराम के कामु. जितेन्द्रकुमार बनाम हरीया उर्फ हन्साराम वगैरा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्यायालय द्वारा पारित डिक्री आदेश दिनांक 03.03.2021 की पालना में तहसीलदार, बाली ने वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये विभाजन रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/ 1252 दिनांक 22.07.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी श्री अमृत परिहार एवं वकील प्रतिवादी श्री एम. ए. कलाम की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो ने प्राप्त विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद में वर्णित भूमि बाली के गत् खसरा नंबर 316/2/1 क्षत्रफल 5 बीघा 8 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 1296, 1297, 1298 कुल खसरा–03 कुल रकबा 0.87 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा,सडा एवं जाव अव्वल, चाही प्रथम लगानी 31.33 रूपये के संबंध में तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/ 1252 दिनांक 22.07.2021 से प्रेषित विभाजन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

1. चुनाराम पुत्र देवाराम जाति घांची सा. देह खातेदार

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	1298/2	0.16	चाही प्रथम	6.56	हरा

2.. लालाराम पुत्र देवाराम जाति घांची सा.देह खातेदार

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	1298/1	0.08	चा.प्र. 0.01	0.41	गुलाबी
			जा.अ. 0.07	0.98	
	1298/6	0.08	चा.प्र. 0.08	3.28	

3 हंसाराम पुत्र देवाराम जाति घांची सा.देह खातेदार

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	1298/3	0.16	चाही प्रथम	6.56	भूरा

.4 .जितेन्द्रकुमार पुत्र वनाराम जाति घांची सा. देह खातेदार

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	1298/5	0.08	चाही प्रथम	3.28	ओरेन्ज
	1298/7	0.08	चाही प्रथम	3.28	

5. कमला पुत्री छोगाराम 1/8 चम्पालाल पुत्र छोगाराम 1/8 टमुदेवी पत्नि छोगाराम 1/8 तुलसीराम पुत्र छोगाराम 1/8 दाकु पुत्री छोगाराम 1/8 पुष्पा पुत्री छोगाराम 1/8 मदनलाल पुत्र छोगाराम 1/8 लेहरी पुत्री छोगाराम 1/8 जाति घांची सा.देह खातेदार

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	1298/4	0.16	चाही प्रथम	6.56	पीला

6. शामलाती खाता रहा– चुनाराम पुत्र देवाराम 1/5 लालाराम पुत्र देवाराम 1/5 हंसाराम पुत्र देवाराम 1/5 जितेन्द्रकुमार पुत्र वनाराम 1/5 कमला पुत्री छोगाराम 1/40 चम्पालाल पुत्र छोगाराम 1/40 टमुदेवी पत्नि छोगाराम 1/40 तुलसीराम पुत्र छोगाराम 1/40 दाकु पुत्री छोगाराम 1/40 पुष्पा पुत्री छोगाराम 1/40 मदनलाल पुत्र छोगाराम 1/40 लेहरी पुत्री छोगाराम 1/40 जाति घांची सा. देह खातेदार

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
1	1298	0.03	जाव अव्वल	0.42	जामूनी रंग
	1296	0.01	गै.मु. बेरा	--	
	1297	0.03	गै.मु. सडा	—	

निज लगातार......03

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :08/2019 Rcms No. 2019/00158
अनवान स्व. वनाराम के कामु. जितेन्द्रकुमार बनाम हसीया उर्फ हन्साराम वगैरा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 31.33 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 30-7-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner